

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(33)राज/वाद/24 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक 01/9/25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं03 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं04 में वर्णित रिक्त पदों पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 2, जोधपुर महानगर	श्री विमलेश जोशी (आर/519/1991)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2, जोधपुर महानगर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 3, जोधपुर महानगर	श्री रविपाल सिंह राठौड़ (आर/763/2002)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 3, जोधपुर महानगर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 4, जोधपुर महानगर	श्री दशरथ सिंह (आर/4255/2010)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 4, जोधपुर महानगर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 5, जोधपुर महानगर	श्री चन्द्र प्रकाश ओझा (आर/2014/2008)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 5, जोधपुर महानगर

आज्ञा से


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि